राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 973 व 974/2014..... जिला : बीकानेर.....
मैसर्स श्री ओम एण्टरप्राइजेज फड बाजार,बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, बीकानेर एवं अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर,बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री अभिषेक अजमेरा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक आदेश दिनांक 09.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त,विशेष वृत,बीकानेर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24/25 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.10.2014 में विवादित मांग राशि क्रमशः रू. 38,55,843/– व 44,63,646/–की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण होने व अभिग्रहित रोकड के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रोकड की एकतरफा ऑडिट करते हुए मांग राशि कायम की गई है आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन पर रोक से इनकार के विरूद्ध ये अपीलें वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत दायर की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट नियम 51 के उल्लंघन में सर्वेक्षण किया गया था। अभिग्रहण मीमो हस्ताक्षर पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश प्रारम्भ से ही अविधिक है। अग्रिम कथन किया कि सर्वेक्षण में तृतीय पक्ष के बयानों के आधार पर उचंती बिक्री अवधारित की गई है तथा अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नही किया गया है फिर भी अपीलीय अधिकारी ने बिना कारण अंकित किये स्थगन अस्वीकार कर आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन उसके पक्ष में होने के कारण स्थगन स्वीकार किये जाने पर बल दिया । प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 973 व 974/2014..... जिला : बीकानेर.....
मैसर्स श्री ओम एण्टरप्राइजेज फड बाजार,बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, बीकानेर एवं अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर,बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में विवादित स्थगन हेतु आवेदित क्रमशः राशि रू. 38,55,843/– व 44,63,646/–पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत क्रमशः वसूली योग्य रू. 38,55,843/– व 44,63,646/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया। (सुनील शर्मा) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य 11/06/14	